# मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा का एहतराम

(अनुवाद: और जो कोई भी (हरम के अन्दर) किसी बेदीनी का इरादा ज़ुल्म से करेगा हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखाएंगे)

ये कुरआन मजीद का मुस्तक़िल मोजज़ा और खुदा के अत्यधिक व हमेशा रहने वाले इल्म की एक निशानी है। छटी–सातंवी सदी ईसवी तक सभ्य दुनिया ख़ासकर जज़ीरतुल अरब को केवल एक ही ख़तरा और एक ही तरह के हमले का अनुभव था और वो मैदाने जंग का ख़तरा और खुले हुए फ़ौजी हमले का अनुभव था। इसका एक नमूना इसी पाक सरज़मीन में अबराहा के लश्कर के ख़ात्मे और हाथी वालों की फ़ौजी पेशक़दमी की सूरत में देखा जिसको अल्लाह तआला ने बुरी तरह पस्पा और नाकाम कर दिया। इस बारे में एक पूरी सूरह (सूरतुल फ़ील) नाज़िल फ़रमायी लेकिन इस अमन के शहर बैतुल्लाह दुनिया के केन्द्र के ख़िलाफ़ गहरी साज़िशों सुनियोजित हेर–फेर और खतरनाक़ मन्सूबा बन्दियों का कोई अनुभव न था। लेकिन इस अलीम ख़बीर खुदा ने जिसने ये आख़िरी किताब नाज़िल की इसकी तरफ़ भी आगाही दे दी कि ऐसा भी हो सकता है और इससे भी ख़बरदार रहना चाहिये और इसकी सज़ा और अन्जाम भी देता है कि (अनुवाद: हम उन्हे दर्दनाक अज़ाब चखाएंगे) अल्लाह तआला ने इस घर की तारीफ़ में क़यामा लिन्नास (लोगों के ठहरने की जगह) फ़रमाया है जो एक बहुत अर्थपूर्ण शब्द है। इसकी व्याख्या बहुत कठिन है। इसका मतलब ये है कि इन्सानियत और दुनिया की शांति के बहुत से इन्तिज़ामों और उसकी ज़मानतें इस बैतुल्लाह से संबंधित हैं और जब तक ये इस अज़मत और एहतराम और रक्षा व पाकी के साथ स्थापित है इन्सानियत के रूहानी और मानवी लाभ हैं जो इस पाकी व रक्षा पर बुरी नज़र डालेगा और उस तौहीद व इबादत के मरकज़ को व इन्सानियत को अपने फ़ाएदे और शासन की जगह बनाएगा। उसको अल्लाह तआला समाप्त कर देगा।

यहीं से सरदार–ए–कुरैश और रसूलुल्लाह स०अ० के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमला करने वाले अबराहा से कहा था कि इस घर का भी एक मालिक व निगेहबान है जो इसकी हिफ़ाज़त करेगा। ये उस समय भी एक हक़ीक़त और वास्तविक क़िस्सा था जिसका ज़हूर इस समय भी है और क़यामत तक भी रहेगा।

वाक़्या ये है कि अल्लाह के घर का एहतराम और मदीना तैय्यबा से लगाव व मुहब्बत इस्लामी शऊर ईमान व इस्लाम से संबंध का एक निशान और उसकी तरक़्क़ी को मालूम करने के लिये पैमाने का काम देता है। जब तक उन दोनों जगहों से मुसलमानों को दिली लगाव व जज़्बात है और इन दोनों महबूब व मुहतरम जगहों पर किसी की ग़लत निगाह पड़ने के रवादार नहीं उस समय तक उनका रिश्ता इस्लाम से सम्पूर्ण है और उनका दीन सुरक्षित हैं।

हज़रत मौलाना सैय्यद मोहम्मद राबे हसनी नदवी

मासिक
# अरफ़ात किरण
रायबरेली

अंक –10 वर्ष–3
अक्टूबर २०११ ई०
ज़ीक़ादा १४३२ हि०

**संरक्षक**
हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी
अध्यक्ष – दारे अरफ़ात

**निरीक्षक**
मौ० वाज़ेह रशीद हसनी नदवी
जनरल सेकेरेट्री– दारे अरफ़ात
मौ० अहमद अली हसनी नदवी
डायरेक्टर– दारे अरफ़ात

**सम्पादकीय मण्डल**
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नारवुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी
मो० हसन नदवी

**सह सम्पादक**
मो० नफ़ीस रज़ॉ नदवी

प्रति अंक–४रू वार्षिक–४०रू०
सम्मानीय सदस्यता–५००रू० वार्षिक

मर्कजुल इमाम
अबिल हसन अल–नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां
रायबरेली,यू०पी०.229001
www.abulhasanalinadwi.org
FAX-0535-2211188

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला खॉ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण, मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

بسم الله الرحمن الرحيم

# इस्लाम बोलता है

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

व्यक्तिगत रूप से तो एक दो नहीं बल्कि शायद सैंकड़ों में इस्लाम की बड़ी हद तक तरजुमानी मिल सकती है। लेकिन सामूहिक रूप से अगर इस्लाम की तस्वीर तलाश की जाए तो मौलाना रूम की वो मिसाल याद आती है कि एक बार एक मर्द चिराग़ लेकर कुछ तलाश कर रहा था। किसी ने पूछा तो कहा कि इन्सान तलाश करता हूं, सब मिलते हैं इन्सान नहीं मिलता। आज यही स्थिति है, हर तरह के मुसलमान मिलते हैं लेकिन अपने बात व काम से पूरे पूरे इस्लाम की मिसाल पेश करने वाले मुश्किल से ही नज़र आंएगे।

इस्लाम और मुसलमान में बड़ा फ़र्क़ है। इस्लाम कुछ कहता है, मुसलमान के समाज में कुछ और नज़र आता है। मुसलमान मोहल्लों में तरह तरह की ख़ुराफ़ात मौजूद हैं जिनका दूर से भी इस्लाम से कोई वास्ता नहीं हैं। जो इस्लामी शिक्षा से परिचित नहीं वो उन ही ख़ुराफ़ात को इस्लाम समझते हैं और इस्लाम से अपरिचित होते हैं। अर्थ ये है कि मुसलमानों को देखकर इस्लाम को नहीं समझा जा सकता। इस्लाम खुद बोलता है। उसकी शिक्षा स्वंय गवाही देती है। अगर कोई उससे परिचित नहीं है वो इस्लाम को नहीं जानता।

आज सबसे ज़्यादा बेकारी मुसलमानों में नज़र आती है। समय नष्ट करना, बेकार के कामों में व्यस्त रहना, सुबह से शाम तक गप शप, चाय पीने और अख़बार पढ़ने में समय नष्ट कर देना। नौजवानों को अकारण घूमना फिरना, हर समय खेल कूद में लगे रहना, और इससे बढ़कर बेहयाई के कामों में लगना। ये सब वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर मुस्लिम मुहल्लों में नज़र आती हैं। और अब तो इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेली विज़न, कमप्यूटर गेम्स, और तरह–तरह की फ़िल्मों ने नौजवानों को अपंग बना दिया है। जबकि नबी स०अ० की शिक्षा उसके विपरीत है। आप स०अ० फ़रमाते हैं: (इस्लाम की ये खूबी है कि मुसलमान बेकार की चीज़ों को छोड़ देता है) अगर कोई इस पर अमल नहीं करता और बेकार की चीज़ों में लगा हुआ है तो उसका इस्लाम नाक़िस है। अभी उसने इस्लाम की हक़ीक़त नहीं समझी।

ज़िन्दगी का एक एक लम्हा अल्लाह की एक अमानत है। इसको यूं ही गंवा देना उसकी नाकद्री है। ये ज़िन्दगी अल्लाह ने इसलिये दी है कि अपने मालिक को राज़ी किया जाए और इसको इस तरह गुज़ारा जाए कि अल्लाह ख़ुश हो। लोगों को फ़ाएदा पहुंचे और समय को नष्ट न किया जाए बल्कि उसे क़ीमती बनाने के लिये कोशिशें की जांए। इसलिये इस्लाम में बिना आवश्यकता अत्यधिक सोने से भी मनाही है।

वक़्त की हैसियत क़ीमती से क़ीमती चेक की है आदमी चाहे तो उसे कैश करा ले और चाहे तो उसको बेकार कर दे। वो लोग कामयाब है जो लम्हे–लम्हे का जाएज़ा लेते हैं और अपना विश्लेषण करते हैं कि उन्होने अपने वक़्त को कहां लगाया। ये बुलन्दी की बात है कि आदमी ख़ैर के कामों में आगे बढ़े और ख़ैर के रास्ते को हाथ से जाने न दे।

दुनिया में सबसे ज़्यादा क़ीमती चीज़ वक़्त है। लेकिन सबसे ज़्यादा नाक़द्री उसी की होती है। अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में ज़माने की क़सम खा कर इसकी क़ीमत उजागर की है। लेकिन इसके तुरन्त बाद इसको स्पष्ट भी कर दिया है कि इन्सान इसकी क़ीमत को नहीं समझता और उससे जो फ़ाएदा उठाना चाहिये वो फ़ाएदा नहीं उठाता: (अनुवाद: ज़माने की क़सम! बेशक इन्सान घाटे में है) फिर आगे इसकी क़ीमत पहचानने वालों और उसकी सही क़द्र करने वालों का ज़िक्र किया गया: (हां जिन्होने माना और अच्छे काम किये और सही बातों को फैलाया और साबित क़दम रहने का माहौल बनाया)

अपने पैदा करने वाले पर यक़ीन, उस पर ईमान, हर भलाई की बुनियाद है और एहसान जताने का अहम तक़ाज़ा है। जिसने पैदा किया, आवश्यकता की चीज़ें उप्लब्ध करायीं। फिर अच्छे काम करना और उसके पैग़म्बरों के बताए हुए तरीक़ों पर करना ये भी इसी एहसान जताने का तक़ाज़ा है। ये ख़बर अपने तक महदूद न रहे बल्कि इसका माहौल बनाया जाए और इसके लिये कोशिशें की जांए। और इस राह की परेशानियों को सर झुका कर बर्दाश्त किया जाए और इसी का उपदेश दिया जाए।

दुनिया का इतिहास बताता है कि वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होने वक़्त की क़ीमत को पहचाना है वो वर्ग उलमा या मशाएख़ का हो या ज्ञान या शिल्प के माहिरीन का हो, वो साइंसी खोज करने वाले हों या मुहक़्क़िकीन या फ़ुज़ला की जमाअत हो। हर एक के हालात बताते हैं कि उनकी कामयाबी की बुनियाद समय की कदर व कीमत पर रही है। हर मैदान में इसकी मिसालें मौजूद हैं।

यही इस्लाम सिखाता है और अपने मानने वालों को इसी की शिक्षा देता है। लेकिन जिस तरह मुसलमानों में बहुत से इस्लामी हुक्म के बारे में ग़फ़लत बढ़ती जा रही है वही हाल इस अहम हुक्म का भी है। मुसलमानों को देखकर बहुत से ज़हनों में ये ख़्याल पैदा होता होगा कि इस्लाम में वक़्त की शायद कोई बड़ी क़ीमत नहीं है। जबकि एक सूरह इसी विषय से संबंधित उतरी है। वाक़्या यही है कि अगर मुसलमानों को देखकर इस्लाम समझने की कोशिश की जाए तो शायद इस्लाम से दूरी बढ़ती चली जाए। इसके लिये इस्लामी शिक्षा और आदेशों को समझने की आवश्यकता है। और रसूलुल्लाह स०अ० की मुबारक ज़िन्दगी को देखने की ज़रूरत है। आज के हालात यही बताते हैं कि मुसलमानों को देखकर इस्लाम से दूरी हो रही है। मगर इस्लाम खुद बोलता है। लोग खुद इस्लाम के अध्ययन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका कारण केवल यही है कि दुनिया के बाक़ी धर्म अपनी हक़ीक़त खो चुके हैं। उनकी किताबें नष्ट हो चुकीं, जबकि क़ुरआन मजीद के बारे में सब सहमत हैं कि वो जैसा चौदह सौ साल पहले था वैसा आज भी है।

# हज क्या है?

—››› मौलाना मोहम्मद मन्ज़ूर नोमानी

हज क्या है? एक निश्चित और तय समय पर अल्लाह के दीवानों की तरह उसके दरबार में हाज़िर होना और उसके ख़लील हज़रत इब्राहीम अलै0 की अदाओं और तौर तरीक़े की नक़ल करके उनके सिलसिले और मसलक से अपने संबंध और वफ़ादारी का सुबूत देना, अपनी क्षमता के अनुसार इब्राहीमी जज़्बात और कैफ़ियत से हिस्सा लेना और अपने को उनके रंग में रंगना।

अधिक स्पष्टता के लिये कहा जा सकता है कि अल्लाह तआला की एक शान ये है कि वो ज़ुल जलाल वल जबरूत, अहकमुल हाकिमीन और सारी दुनिया का बादशाह है, और हम उसके आजिज़ व मोहताज बन्दे हैं और हम उसके ग़ुलाम और हुक्म मानने वाले हैं और दूसरी शान उसकी ये कि वो उन सभी विशेषताओं से परिपूर्ण है जिनके कारण इन्सान को किसी से प्रेम होता हैं और इस लिहाज़ से वो– केवल वही, अस्ली महबूब है। उसकी पहली हाकिमाना और शाहाना शान का तक़ाज़ा ये है कि बन्दे उसके दरबार में अदब व नियाज़ी की तस्वीर बन कर हाज़िर हों। इस्लामी तत्वों में पहला तत्व नमाज़ इसी की ख़ास मिसाल है और इसमें यही रंग ग़ालिब है। और ज़कात भी इसी निस्बत के दूसरे रुख़ को ज़ाहिर करती है। और उसकी शाने महबूबियत का तक़ाज़ा ये है कि बन्दों का संबंध उसके साथ मुहब्बत का हो। रोज़े में भी किसी कदर ये रंग है। खाना पीना छोड़ देना, नफ्सियाती इच्छाओं से मुंह मोड़ लेना, इश्क़ व मुहब्बत की मन्ज़िलों में से है मगर हज इसकी पूरी–पूरी मिसाल है। सिले कपड़ों के बजाए कफ़न नुमा कपड़े पहन लेना, नंगे सर रहना और हजामत न करवाना, नाखून न कटवाना, बालों में कंघा न करना, तेल न लगाना, खुशबू कर इस्तेमाल न करना, मैल कुचैल से जिस्म की सफ़ाई न करना, चीख़ चीख़ कर लब बैक कहना, अल्लाह के घर के चारों तरफ़ चक्कर लगाना, इसके एक हिस्से में लगे हुए काले पत्थर (हजर अस्वद) को चूमना, इसकी दरो दीवार से लिपटना और रोना धोना, फिर सफ़ा व मरवा के चक्कर काटना, फिर मक्का शहर से निकल जाना और मिना, अरफ़ात और कभी मुज़दलफ़ा के रेगिस्तानों में जा पड़ना, फिर जमरात पर कन्करियां मारना, ये सारे काम वही हैं जो मुहब्बत के दीवानों करते हैं और हज़रत इब्राहीम मानो आशिक़ी की इस रस्म के बानी हैं।

अल्लाह तआला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आयी कि अपने दरबार की ख़ासुल ख़ास हाज़िरी हज व उमरे के काम व त्याग को क़रार दिया।

इन्ही सब के संग्रह का नाम मानो हज है। और ये इस्लाम का आख़िरी और तकमीली तत्व है।

हज के फ़र्ज़ होने का हुक्म राजेह क़ौल के मुताबिक़ नौ हिजरी में आया है। और इसके अगले साल 10 हिजरी में अपनी वफ़ात से केवल तीन महीने पहले रसूलल्लाह स0अ0 ने सहाबा किराम रज़ि0 की एक बहुत बड़ी जमाअत के साथ हज किया। जो "हजतुल विदा" के नाम से मशहूर है। और इसी हजतुल विदा के मौक़े पर अरफ़ात के मैदान में आप स0अ0 पर ये आयत नाज़िल हुई।

(आज मैने तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। और तुम पर अपनी नेमते तमाम कर दी।) इसमें एक तरफ़ एक लतीफ़ इशार है कि हज इस्लाम का तकमीली रुक्न है।

अगर बन्दे को सही और मुख़लिसाना हज नसीब हो जाए जिसको दीन व शरीअत की ज़बान में "हज मबरूर" कहते हैं। और इब्राहीमी और मुहम्मदी निस्बत का कोई ज़र्रा इसको अता हो जाए तो मानो इसको सआदत का आला मुक़ाम हासिल हो गया और वो अज़ीम नेमत इसके हाथ आ गयी जिससे बड़ी किसी नेमत का इस दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं जा सकता।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलल्लाह स0अ0 ने एक दिन खुत्बा दिया और उसमें फ़रमायाः ऐ लोगों तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया अतः इसको अदा करने की फ़िक्र करो। एक आदमी ने अर्ज़ किया किः या रसूलल्लाह स0अ0! क्या हर साल हज हम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है? रसूलल्लाह स0अ0 उसके जवाब में ख़ामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया, यहां तक कि उसने तीन बार अपना सवाल दोहराया तो आप स0अ0 ने (नागवारी के साथ फ़रमाया) किः "अगर मैं तुम्हारे इस सवाल के जवाब में कह देता हां हर साल हज करना फ़र्ज़ किया गया तो इसी तरह फ़र्ज़ हो जाता, और तुम अदा न कर सकते, इसके बाद आप स0अ0 ने हिदायत फ़रमायी कि किसी मामले मे मैं जब तक खुद तुमको हुक्म न दूं तुम मुझसे हुक्म लेके और सवाल करके अपनी पाबन्दियों को मत बढ़ाओ, तुमसे पहली उम्मत के लोग इसी से तबाह हुए कि वो अपने नबियों से सवाल बहुत करते थे और फिर उनके आदेश का विरोध करते थे।" लिहाज़ा (मेरी हिदायत तुमको ये है कि) जब मैं तुमको किसी बात का हुक्म दूं तो उसको पूरा करो और जब तुमको किसी काम से मना कर दूं तो उसे छोड़ दो।

जामे तिरमिज़ी वग़ैरह क़रीब–क़रीब इसी बात की एक हदीस हज़रत अली से मरवी है इसमें ये साफ़ है कि रसूलल्लाह स0अ0 की तरफ़ से हज के फ़र्ज़ के आम होने का ये ऐलान और इस पर ये सवाल व जवाब जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 की उपरोक्त हदीस में ज़िक्र किया गया है। सूरह आले इमरान की इस आयत के नाज़िल होने पर पेश आया था। (अनुवादः अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर का हज करना फ़र्ज़ है उन लोगों पर, जो इसकी इस्तिताअत रखते हों।)

हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि एक शख़्स रसूलल्लाह स0अ0 की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, और उसने पूछा कि क्या चीज़ हज को वाजिब कर देती है? आप स0अ0 ने फ़रमाया? सफ़र का सामान और सवारी।..... (शेष पेज 7 पर)



www.abulhasanalinadwi.org

# क़ुर्बानी
## इख़लास के साथ

दीन अस्ल में क़ुबानी का नाम है, इसका आरम्भ भी क़ुबानी है और अन्त भी। यही चीज़ है जिसको (अनुवादः जन्नत कठिन और नफ़्स को न अच्छी लगने वाली चीज़ों से घेर दी गयी है और दोज़ख़ नफ़्स को अच्छी लगने वाली चीज़ों से) कहा गया है। इसी बात को एक जगह (अनुवादः दुनिया मोमिन के लिए क़ैदख़ाना और काफ़िर के लिए जन्नत है) इसी विषय को इस हदीस में भी बयान किया गया है। (अनुवादः तुममे से कोई उस समय तक सच्चा मुसलमान न होगा, जब तक कि उसकी नफ़्स की इच्छा मेरी लायी हुई शिक्षाओं के अनुसार न हो जांए) ग़रज़ ये कि हदीस व क़ुरआन दोनों इस तरह के विषयों से भरे हुए हैं, और चेतावनी के लिए बार–बार इसको दोहराया भी गया है ताकि ये वास्तविकता अच्छी तरह दिलों और दिमाग़ों में बैठ जाए।

लेकिन क़ुर्बानी की भी दो क़िस्में हैं। खुली हुई क़ुर्बानी और छिपी हुई क़ुर्बानी। खुली हुई क़ुर्बानी तो ये है कि जिसको हर व्यक्ति क़ुर्बानी समझे और जहां दीन और दुनिया में खुली हुई प्रतिस्पर्द्धा हो, वो दीन को प्राथमिकता दे, इसके विपरीत छिपी हुई क़ुर्बानी को कई बार समझना मुश्किल होता है और आदमी ये नही समझ पाता इससे इस समय किस प्रकार की क़ुर्बानी की मांग है?

कई बार आदमी समझता है कि दीन और दुनिया के मामले में उसने दुनिया को क़ुर्बान करके दीन को क़ुबूल कर लिया है और दीनदारों की क़तार में शामिल हो गया। अब उसको बार–बार क़ुर्बानी देने की आवश्यकता नही, हालांकि अगर ग़ौर किया जाए तो पता चलेगा कि खुली हुई क़ुर्बानी के बाद छिपी क़ुर्बानियों का एक लम्बा सिलसिला है जो इस दुनिया से जाने तक जारी रहता है। ये क़ुर्बानियां छिपी इसलिए नही कि वो मामूली और कम दर्जे की हैं बल्कि इनको छिपी हुई इसलिए कहा जा सकता है कि वो आसानी से पता नही चलती और कई बार उनको समझना मुश्किल हो जाता है।

ये अपनी आदत, इच्छा, अपनी पसन्द, अपनी तबियत, अपने शौक़ और कई बार अपनी काम करने के तरीक़े की क़ुर्बानी है। क़ुरआन करीम ने मुसलमानों से केवल ये मांग नही की है कि वो केवल इस्लामी आदेशों की पूर्ति करें, बल्कि ये भी कहा है कि उन आदेशों को पूरा करने में उनको किसी प्रकार से बुरा न लगे और तंगी न महसूस हो। बल्कि वो खुशदिली, भरोसे और स्वीकार व शुक्र के साथ नबी करीम की शिक्षा के सामने सर झुकांए। क़ुरआन मजीद में साफ़ तौर पर आता है कि (अनुवादः और क़सम है तुम्हारे रब की ये उस समय तक सच्चे मोमिन नही हो सकते जब तक कि ये तुमको फैसला करने वाला न बनांए और अपने झगड़ों में। फिर न महसूस करें अपने दिलों में किसी प्रकार की कोई तंगी और खटक तुम्हारे फैसले पर और पूरी तरह अपना सर उसके सामने झुका दें)

हमारे हालात, हमारी नज़र और राय और हमारा पसन्दीदा तरीक़ा चाहे हमें कितना मासूम व अहानिकारक और फ़ाएदेमन्द और लाभ वाला नज़र आये उस समय तक हरगिज़ विश्वस्नीय और भरोसे के लायक़ नही जब तक कि उसको दीन की सनद न मिल जाए और उसके साथ क़ुर्बानी का पैवन्द न लग जाए। दुनिया की दिलचस्पियों और रंगीनियों से परहेज़ ही क़ुबानी नही है बल्कि नफ़्स के ख़िलाफ़ हर काम क़ुबानी है। चाहे वो दीन के दायरे के अन्दर नज़र आये। जैसे नमाज़ की तब्लीग़ करने वाला अगर किसी को झिड़क दे या ग़ुस्से में आकर बुरा भला कहने लगे, और वो ये समझे कि वो दीन की ख़ातिर ऐसा कर रहा है तो उसको देखना चाहिए कि इसमें उसकी नफ़्स का हिस्सा कितना है और हक़ का इज़हार कितना? इस मौक़े पर अपने ग़ुस्से पर क़ाबू रखना और नबी के नमूने की पैरवी में सिर्फ़ आम बात कहना भी क़ुर्बानी की एक शक्ल है। इसी तरह इन दीनी व मिल्ली कामों में (जिनको एक मुसलमान ख़ालिस दीन समझकर और अल्लाह की रज़ा के लिए करता है) अपने शौक़ और जज़्बे कि ख़िलाफ़ बात सुन लेना, और सिर्फ़ अपने पसन्दीदा मसलक पर ज़िद न करना भी एक क़ुर्बानी हैं। इसी तरह की परेशानियां एक दीनी ज़िन्दगी गुज़ारने वाले को क़दम–क़दम पर आती हैं। इनका पूरा हक़ अदा करने के लिए क़ुर्बानी और सब्र और अज़ीमत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर इस मसले पर इन्सान साबित क़दम रहा हो, और उसने इन मन्ज़िलों में अपनी हिम्मत का सुबूत दिया हो, तो अल्लाह तआला की ज़ात से उम्मीद है कि इस तरह की क़ुर्बानियां उसके लिए आसान और खुशगवार हो जांएगी। और उसको उनमें वो मज़ा आने लगेगा जो सच्ची मुहब्बत करने वाले को महबूब के नख़रे उठाने में आता है।

लेकिन ये क़ुर्बानी जिस चीज़ से ताक़त और ग़िज़ा हासिल करेगी वो इख़लास है, हिजरत एक बड़ी क़ुर्बानी है लेकिन हदीस शरीफ़ के शब्द हैं कि: (अनुवादः जिसकी हिजरत दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हो तो उसकी हिजरत उसी के लिए समझी जाएगी जिसकी तरफ़ वो हिजरत कर रहा है)

देखने की बात ये है कि कहीं ऐसा न हो कि हम क़ुर्बानी भी करें और हमारी ग़रज़ (जैसे इज़्ज़त और माल की मुहब्बत) में लिप्त होकर नष्ट हो जाए।

इख़लास का सुबूत क़ुर्बानी से मिलता है और क़ुर्बानी का दारोमदार इख़लास पर है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। क़ुर्बानी ये है कि हर मौक़े पर अपने नफ़्स को क़ाबू में रखा जाए और इख़लास ये है कि ये सब अल्लाह तआला के लिए हो, न हर दिल अज़ीज़ बनने के लिए, न अपनी सेवाओं के द्वारा लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए, न लोगों पर अपनी क़ुर्बानियों, या अपने ज्ञान और हुनर व कमाल का सिक्का बिठाने के लिए न अपनी हाज़िर दिमाग़ी व हिकमत का इज़हार करने के लिए, न अपनी क़ौम को लाभ पहुंचाने के लिए, अगर हमारे मद्देनज़र महत्वपूण क़ौम की सेवा है और उसमें अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का ज़ज़्बा या दूसरे शब्दों में इख़ालस शामिल नही है, अगर हम केवल क़ौम व मिल्लत के वफ़ादार हैं, ख़ुदा के वफ़ादार नही, अगर हम ये सेवांए केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अन्तरात्मा संतुष्ट हो जाए, हमारी क़ौमी ख़ुद्दारी की पूर्ति हो, हमारी बरतरी साबित हो, हमारे धर्म वाले और देशवासी उन्नति की ओर तेज़ी से अग्रसर हों, इसमें ख़ुदा के वादों पर यक़ीन, अज्र व सवाब व अल्लाह की रज़ा को पाने का भाव नही है (और ये सम्भव है)..... (शेष पेज 7 पर)



www.abulhasanalinadwi.org

# सूरह इख़लास

**मौलाना सैय्यद मुहम्मदुल हसनी रह०**

आज सूरह इख़लास यानि "कुल हु वल्लाहु अहद" का अर्थ लिखा जा रहा है। ये भी बहुत छोटी सूरह है और इसका अर्थ याद कर लेना हमारे लिये इन्शाअल्लाह कुछ मुश्किल न होगा। ये सूरह बहुत अज़मत व बरकत वाली है। कई हदीसों में इसको एक तिहाई कुरआन के बराबर और कई में आधे कुरआन के बराबर बताया गया है। इसका मतलब ये है कि जो इसको एक बार खुलूस के साथ पढ़ेगा उसको इतना सवाब मिलेगा और इतनी बरकत हासिल होगी जितनी तिहाई कुरआन या आधे कुरआन पढ़ने से हासिल होती है।

| قُلْ | هُوَ | اللَّهُ | أَحَدٌ | اللَّهُ | الصَّمَدُ |
|---|---|---|---|---|---|
| कहो | वा | अल्लाह | एक (है) | अल्लाह | बेनियाज़ (है) |

"कुल" के माने "कहो" या "कहिये"। ये लफ़्ज़ हमें कुरआन शरीफ़ में बार बार मिलेगा। इसलिये इसको खूब याद रखना चाहिये। चारों कुल में सबसे पहले यही शब्द आता है, और इसका अर्थ है कहिये। सम्बोधन रसूलल्लाह स०अ० से है। फिर सारी उम्मत से, "अहद" के माने "एक" "समद" के माने "बेनियाज़"।

| لَمْ | يَلِدْ | وَلَمْ | يُولَدْ | وَلَمْ |
|---|---|---|---|---|
| नहीं | जना | और नहीं | पैदा किया गया | और नहीं |

| يَكُن | لَّهُ | كُفُوًا | أَحَدٌ |
|---|---|---|---|
| है | इसके के लिये | बराबर का | कोई (एक) |

"लम" के माने "नहीं" या "न" हैं। "व" के माने हैं "और" कभी इसके माने "क़सम" भी होते हैं। जैसे "वलअस्र" में है यानि क़सम है ज़माने की लेकिन अधिकतर इसके माने "और" के होते हैं। ये शब्द बार बार कुरआन शरीफ़ में आता है, और उर्दू में भी बोला जाता है। जैसे किताब व क़लम। "वलद" और "यूलद" ये दोनों शब्द विलादत से निकले हैं। विलादत के माने सब जानते हैं। "लहु" इसके लिये "कुफ़ुवन" के माने "बराबर" के हैं। आपने रिश्ते के मामले में सुना होगा कि फ़लां ने "कुफ़" में शादी की, और फ़लां हमारा "कुफ़" नहीं। यानि ख़ानदानी एतबार से हमारे बराबर नहीं। "अहद" के माने हैं "एक" या "कोई एक" इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि एक भी इसके बराबर का नहीं या कोई भी इसके बराबर का नहीं।

# प्रश्न उत्तर

**अहसन अब्दुल हक़ नदवी**

## नमाज़ में आंख बन्द करना

**प्रश्न:** नमाज़ में आंख बन्द कर लेना कैसा है? (रेहान ख़ान, रायबरेली)

**उत्तर:** नमाज़ में आंख बन्द करके नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अल्बत्ता अगर नमाज़ में दिल लगाने के लिये आंख बन्द करना चाहे तो थोड़ी देर के लिये बन्द कर सकता है।

## धार्मिक मामलों में सुलह–सफ़ाई

**प्रश्न:** मेरा दोस्त फ़िल्मों और गानों की DVD बेचता है, और साथ–साथ दूसरे धर्मों की DVD भी बेचता है। क्या इस बात की इस्लाम में इजाज़त है कि कोई व्यक्ति मुसलमान होकर दूसरे धर्मों का प्रचार करे? (डाक्टर मोहम्मद ताहिर, मलेशिया)

**उत्तर:** फ़िल्मों और गानों और दूसरे धर्मों की DVD बेचना इस्लामी शरीअत के हिसाब से जाएज़ नहीं है। दूसरे धर्म जो इस्लाम के विरोधी हैं उनकी DVD बेचना ईमानी ग़ैरत के ख़िलाफ़ है।

## कमप्यूटर पर शतरंज खेलने का हुक्म

**प्रश्न:** क्या कमप्यूटर पर "शतरंज" (Chess) इत्यादि खेलने की इजाज़त है? (वजीह अशरफ़, अलीगढ़)

**उत्तर:** शतरंज खेलना मकरूह तहरीमी है। ऐसे खेल जो अधिक समय लेते हैं उसमें फ़ुक्हा ने वक़्त ख़राब होने की वजह से इसे मकरूह तहरीमी क़रार दिया है। यही हुक्म दूसरे खेलों का भी है।

## अक़ीक़ा और क़ुर्बानी

**प्रश्न:** जिस व्यक्ति का अक़ीक़ा न हुआ हो क्या उसके लिये क़ुर्बानी करवाना जाएज़ है? (अब्दुल्लाह, फ़ैज़ाबाद)

**उत्तर:** अक़ीक़ा करवाना मुस्तहब है, और क़ुर्बानी करवाना वाजिब है, क्षमता होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति क़ुर्बानी नहीं करता है तो वो गुनहगार होगा, ये बात लोगों में ग़लत मशहूर है कि पहले अक़ीक़ा करवाये फ़िर क़ुर्बानी।

## आप स०अ० के नाम क़ुर्बानी

**प्रश्न:** क्या आप स०अ० के नाम क़ुर्बानी करवाना ज़रूरी है? (अब्दुल्लाह, फ़ैज़ाबाद)

**उत्तर:** आप स०अ० के नाम क़ुर्बानी करवाना ज़रूरी नहीं है और अगर कभी कभार कर दे तो बेहतर है।

## मीक़ात

**प्रश्न:** मैं जद्दा में मीक़ात के बाद रहता हूं, क्या मेरे लिये काबातुल्लाह का हज करने के लिये एहराम बांधना फ़र्ज़ है। (ऐजाज़ इमाम, जद्दा, सऊदी अरब)

**उत्तर:** केवल काबा का तवाफ़ करने के लिये एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है। हां अगर कोई हज या उमरा की नियत से काबा में दाख़िल होता है तो जहां वो ठहरा है वहीं से एहराम बांधना ज़रूरी है।

आप आपने दीनी प्रश्न हमारी वेब साइट पर भी पूछ सकते हैं:
Log on:www.abulhasanalinadwi.org



www.abulhasanalinadwi.org

# अल्लाह के घर की मरकज़ियत और उसकी हैसियत

हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी

अल्लाह तआला ने इस उम्मत यानि केन्द्रीय हैसियत रखने वाली उम्मत के नबी को ऐसे शहर में भेजा कि जिसको दुनिया के केन्द्र और बीच में होने की वजह से सतुंलित स्थान का श्रेय प्राप्त है। और वहीं से इस मरकज़ी उम्मत का आरम्भ हुआ। ये शहर मक्का है जो सारी दुनिया के मअमूर इलाक़ों के बीच की जगह पर होने और उम्मते इस्लामिया के लिये भी केन्द्र का स्थान रखने कि विशेषता का पात्र है। अल्लाह की इबादत व इताअत का केन्द्र व दिल है। अल्लाह की इबादत के लिये बनाये जाने वाले घरों में सबसे पहले इसी को बनाया गया जिसके संबंध में क़ुरआन मजीद में फ़रमाया गया:

(अनुवाद: और पहला घर जो रखा गया (बनाया गया) लोगों के लिये यानि अल्लाह की इबादत के लिये वही है जो बक्का (मक्का) में है जो बाबरकत और सारे जहानों के लिये हिदायत है)

सारे जहानों के शब्द से साफ़ इशारा मिलता है कि मक्का मुकर्रमा का अल्लाह का घर केवल एक क़िब्ला या एक देश या एक क्षेत्र या एक युग के लिये नहीं, बल्कि सबके लिये और क़यामत तक इबादत का मरकज़ है और रहेगा। मुस्लिम उम्मत का आरम्भ इसी घर से हुआ, और क़यामत तक इसी के साथ इसका संबंध रहेगा और ये घर सारे जहानों के लिये हिदायत का केन्द्र रहेगा। सारी क़ौमों और सारे जहानों का केन्द्र होने के कारण दुनिया के सारे इलाक़ों से इसका संबंध आवश्यक था। इसलिये अल्लाह तआला ने इसको सबसे लिये आसान बना दिया, जिसको क़ुरआन मजीद में फ़रमाया गया:

(अनुवाद: और जब हमने अल्लाह के घर को आम लोगों के पहुंचने की जगह बना दिया और उनके लिये अमन की जगह बनाया, और तुम इस जगह को अपनी जाएनमाज़ बनाओ जहां इब्राहीम अलै0 खड़े हुए थे)

अल्लाह तआला ने अपने दीन को इसी उम्मत पर पूर्ण और स्थायी घोषित करते हुए हज़रत इब्राहीम अलै0 से इसका आधारभूत संबंध निश्चित किया। हज़रत इब्राहीम अलै0 वो अज़ीम शख़्सियत हैं जो खुद बड़े नबी और अपने बाद आने वाले नबियों के पूर्वज हैं और ख़ालिस अल्लाह की इबादत के लिये क़ायम किये जाने वाले पहले घर का निर्माण करने वाले और उसको निर्मित करके अल्लाह के हुक्म से वहां आने वाले और वहां से जुड़ने वाले का पहला आम ऐलान करने वाले नबी हैं और ये सब उन्होने अल्लाह के हुक्म से किया। क़ुरआन मजीद में अल्लाह के इस हुक्म का ज़िक्र यूं फ़रमाया गया है:

(अनुवाद: लोगों में यानि सारे इन्सानों में मक्का इबादत की ग़रज़ से आने की आवाज़ लगा दो, लोग तुम्हारे पास पहुंचेगें, पैदल भी, कमज़ोर सवारियों पर भी, जो तरह तरह की गहरी खाइयों से गुज़र कर आयेंगी)

इसके साथ इस उम्मत के आख़िरी नबी को ये बताया गया कि आप को इस बरग़ज़ीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलै0 जो आपके पूर्वज भी हैं, के तय किये हुए रास्ते पर चलना है, फ़रमाया (अनुवाद: इब्राहीम अलै0 के तरीक़े की पैरवी कीजिए) इस तरह एक ओर मक्का पूरी दुनिया के लिये हक़ का मरकज़ और जाएपनाह बनाया गया और दूसरी तरफ़ शहर मक्का संतुलित उम्मत के लिये संतुलित दीन का संतुलित स्थान बनाया गया। और संतुलन का शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ के आधार पर केन्द्रीय संतुलन व अधिपत्य का अर्थ रखता है यहां पर उपोक्त विशेषताओं के कारण तीनों पर लागू हुआ और ये इस्लामी उम्मत के स्थान से समानता रखने के संबंध से इसके इबादतख़ानों को क़यामत तक के लिये अहले हक़ की इबादत और नमाज़ के क़िब्ला का मुक़ाम हासिल हुआ इसलिये अल्लाह की बन्दगी व इताअत क़ुबूल करने वाले दुनिया के हर सिरे और हर जगह से इसको अपनी इबादत का रूख़ बनाते हैं और इस इबादत गाह की मरकज़ियत को अपने ज़हन में रखने की पाबन्दी करते हैं।

और साधारण भौगोलिक पहलू से देखा जाए तो इस आधार से भी मक्का को अपने स्थान के आधार से केन्द्रीय महत्व प्राप्त है। भौगोलिक आधार से मक्का दुनिया के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है मक्का के पूर्व में जितनी दूरी तक इन्सानी आबादी है, लगभग उतनी ही दूरी तक पश्चिम में भी आबादी है, और जिस तरह उसके उत्तर पर आबादी का क्षेत्र मिलता है लगभग उतना ही दक्षिण के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा इस उम्मत के नबी के आने के समय मक्का के चारों तरफ़ लगभग एक ही तरह के फ़ासलों तक सभ्य व उन्नति प्राप्त क्षेत्र बसे थे। जिनका अधिपत्य सारी दुनिया में स्वीकार किया जाता था। पूरब व उत्तर पूर्व की ओर जज़ीरतुल अरब से निकल कर ईरान व ख़रासान व सिन्ध व तुर्किस्तान तक सभ्य व ताक़तवर शासन थे जिनमें सासानी, फ़ारसी हुकूमतें थीं। और उत्तर व उत्तर पश्चिम की ओर बाज़नतीनी और रोमी हुकूमत थी जो उस समय दुनिया का सबसे प्रभावशील व सभ्य शासन समझा जाता था। मक्का के पश्चिमी क्षेत्र में मिस्र व सूडान और उसके पश्चिमी रूख़ पर और अधिक हुकूमतें थीं। और सब क्षेत्र के चारो ओर स्थित सभ्य इलाक़ों के बीच सादा और प्राकृतिक जीवन रखने वाला शहर मक्का था। इसको सारे इन्सानों के लिये उनके दिल व रूह की ज़रूरत को मदद देने वाला केन्द्र बनाया गया, इस प्रकार संतुलित उम्मत के इबादत के केन्द्र को भी मरकज़ियत का मक़ाम अता किया गया और यहीं से पूरी क़यामत तक रहने वाली इन्सानी ज़रूरतों को पूरा करने वाली हिदायत व रहनुमाई का आग़ाज़ हुआ।

आलमी दीन की दावत व हक़ की दावत के लिये के प्रथम हामिलीन को (13) साल तक इसी शहर में उनके अज़ीम काम को अज़्म व सब्र व हिम्मत के साथ अन्जाम देने की मश्क़ करायी गयी फिर बड़े अमल के मैदान में लाया गया और इसके लिये मक्का से मुन्तक़िल होकर इसके क़रीब के शहर मदीना में उनके काम का मरकज़ बनाया गया उस वक़्त से मक्का तमाम अहले हक़ का मरकज़ और मदीना रहनुमाई व अमल के लागू होने का मरकज़ बना। मक्का की बेसहारा ज़िन्दगी से निकल कर मदीना में मुसलमानों को साधन व सुरक्षा का जीवन प्राप्त हुआ। और इस तरीक़े से इसी अमल के मरकज़ से अपने आवश्यक काम को पूरे जज़ीरतुल अरब में फैलाने का मौक़ा हासिल हुआ। फिर और अधिक अवसर प्राप्त होने पर जज़ीरतुल अरब के बाहर उनके शासकों को भी संदेश देने की योग्यता हासिल हुई जो अपने मातहत बाशिन्दों और कौमों के शासक होने के कारण हक़ की दावत की राह में उनको अन्जाम देना था।



www.abulhasanalinadwi.org

# हज के फ़ज़ाएल और उसके फ़ज़ होने की शर्तें

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

हज इस्लाम के पांच मूल भूत तत्वों में से एक है। एक ओर किताब व सुन्नत में इसके बेशुमार फ़ाएदे बताए गये हैं और दूसरी तरफ़ फ़र्ज़ हो जाने के बावजूद अदायगी न करने वालों को बहुत सख़्त वईद सुनायी गयी है। इसके फ़ज़ाएल बयान करते हुए नबी करीम स0अ0 ने फ़रमाया: "जो अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिये हज करे, और मना किये गये कामों व हराम से बचे, और कोई गुनाह का काम न करे तो वो गुनाहों से इस तरह पाक व साफ़ होकर लौटेगा जैसे पैदाइश के समय बिल्कुल मासूम था।" (बुख़ारी, मुस्लिम, नसाई, इब्ने माजा, अहमद)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 की एक दूसरी हदीस में है कि नबी करीम स0अ0 से पूछा गया: कौन से अमल सबसे श्रेष्ठ है, आपने फ़रमाया: अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, पूछा गया, फिर क्या है?फ़रमाया: अल्लाह के रास्ते में जिहाद, पूछा गया, फिर क्या है? फ़रमाया: हज मबरूर।" (बुख़ारी मुस्लिम)

एक रिवायत में आंहज़रत स0अ0 ने इरशाद फ़रमाया: "एक उमरा के बाद दूसरा उमरा बीच के समय के लिये कफ़्फ़ारा होता है, और स्वीकृत हज का बदला केवल जन्नत है।" (बुख़ारी मुस्लिम)

इन हदीसों से हज की फ़ज़ीलत बिल्कुल साफ़ है। जहां तक संबंध है कुबूल हज का, तो एक कथन ये है कि हज मबरूर वो है जिस में कोई गुनाह न हो। कई उलमा का कथन है कि हज मबरूर हज मक़बूल का नाम है। कई कहते हैं कि जिस में दिखावा और नाम व शोहरत न हो वो हज मबरूर है। और कई कहते हैं जिसके बाद गुनाह न हो। हज़रत हसन बसरी रह0 फ़रमाते हैं कि हज मबरूर वो है जिस के बाद दूनिया से दिल हट जाए और आख़िरत की तरफ़ आकर्षण पैदा हो जाए।

**हज की ताकीद:** जैसा कि कहा गया हज इस्लाम के मूलभूत तत्वों में से एक है। अत: जब हज फ़र्ज हो जाए तो तुरन्त उसको अदा करने की चिन्ता करनी चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि जल्द से जल्द उसकी फ़र्ज़ियत से फ़ारिग़ हो जाए।

वरना अगर फ़र्ज़ हो जाने के बाद मौत आ गयी और हज नहीं कर सका तो एक महत्वपूर्ण फ़र्ज़ को छोड़ देने वाला हो गया। जिसके संबंध में किताब व सुन्नत बहुत सख़्त वईद आयी है। इसलिये अल्लाह तआला का इरशाद है: (अनुवाद: और अल्लाह के वास्ते लोगों के ज़िम्मे उस मकान का हज करना है यानि उस व्यक्ति के जो ताक़त रखे वहां तक पहुंचने की और जो व्यक्ति मुनकर हो तो अल्लाह तआला तमाम जहां वालों से ग़नी है)

तफ़सीर लिखने वाले इब्ने कसीर फ़रमाते हैं: "इसके बारे में बहुत सी हदीस आयीं हैं कि हज इस्लाम के हिस्सों में से एक है, इस पर सभी मुसलमानों की सहमति है, मुकल्लफ़ पर उम्र भर में एक बार हज वाजिब होता है।

आगे फ़रमाते हैं: "सईद बिन मन्सूर ने अपनी सुनन में हज़रत हसन बसरी रह0 से नक़ल किया है कि हज़रत उमर रज़ि0 ने फ़रमाया: "मैंने पुख़्ता इरादा किया है कि उन शहरों की ओर लोगों को भेजें, वो जाएज़ा लें कि जिसके पास कुदरत थी और उसने हज नहीं किया तो उसके ऊपर जज़िया कर लागू कर दें, वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं हैं।"

और नबी करीम स0अ0 का इरशाद है: "जिसके लिये हज से रुकावट की कोई ज़ाहिरी हालत या ज़ालिम बादशाह या रुकावट डालने वाला मर्ज़ नहीं है और वो हज किये बग़ैर मर गया तो वो अगर चाहे तो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर।"

अबू दाऊद की एक रिवायत में इसी वजह से नबी करीम स0अ0 ने फ़रमाया: "जिसका इरादा हज करने का हो वो जल्दी करे।"

साफ़ ज़ाहिर है कि आप स0अ0 ने ये हुक्म इसलिये दिया है कि कभी–कभी देर करने से कोई रुकावट आ जाती है और इन्सान हज की अदायगी से वंचित रह जाता है। अत: जैसे ही पर्याप्त साधन हो जांए और आगे आने वाली शर्तें पूरी हो जांए तुरन्त फ़ार्म वग़ैरह भर कर जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिये। अपनी या अपनी बेटी–बेटों की शादी या इस तरह के दूसरे कामों से फ़र्ज़ छोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिये पहले इस फ़र्ज़ के अदा करने की फ़िक्र की जाए। अल्लाह तआला उन ज़रूरतों को भी पूरा करेगा।

**हज किस पर फ़र्ज़ होता है?**

अगर हज करने की क्षमता हो, यानि वो सभी शर्तें पूरी हो रही हों जिनके पाये जाने से हज फ़र्ज़ हो जाता है तो उम्र भर में एक बार हज करना फ़र्ज़ है। ये शर्तें तीन तरह की हैं:–

**वाजिब होने की शर्तें:** इनके पाये जाने से हज फ़र्ज़ हो जाता है और न पाये जाने पर फ़र्ज़ नहीं होता न ही हज बदल करना या वसीयत करना वाजिब होता है। ये शर्त सात हैं:

**1. मुसलमान होना चाहिये,** इसलिये काफ़िर पर हज फ़र्ज़ नहीं होता।

अगर कोई कुफ़्र की हालत में हज अदा करे, फिर मुसलमान हो जाए, तो अगर हज करने की क्षमता रखता है तो नये सिरे से हज फ़र्ज़ होगा। कुफ़्र की हालत में किये हुए हज का एतबार नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी मुसलमान ने हज किया फिर नऊज़ुबिल्लाह मुरतद हो गया तो उसका हज बेकार हो जाएगा। लिहाज़ा अगर फिर मुसलमान हो जाए तो इस्तिताअत होने पर हज अदा करना वाजिब होगा।

**2. बालिग़ होना,** नाबालिग़ मालदार हो तब भी उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा।

**3. अक़्ल वाला होना,** मालदार पागल हो तब भी उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा।

अगर बच्चे या पागल ने हज किया, फिर बच्चा बालिग़ हो गया और पागल सेहतमंद हो गया तो हज नहीं माना जाएगा। नये सिरे से करना फ़र्ज़ होगा। यद्यपि बच्चा अगर अरफ़ात में ठहरने से पहले से पहले



www.abulhasanalinadwi.org

बालिग़ हो जाए और मजनू अरफ़ात में ठहरने से पहले सेहतमंद हो जाए तो अगर दोनों फिर से एहराम बांध लें और हज अदा करें तो हज–ए–फ़र्ज अदा हो जाएगा वरना नहीं।

4. **हज करने की इस्तिताअत होना**, इसलिये जो लोग मक्के से बाहर के हैं, उन पर हज फ़र्ज़ होने के लिये इस्तिताअत यानि सवारी या इतना ख़र्च होना शर्त है, जिसके ज़रिये वो मक्का जाकर वापस आ सकें। और मां–बाप बीवी वग़ैरह जिसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आती हो उस दौरान उसके मुनासिब ख़र्च का इन्तिज़ाम हो सके।

ज़रूरी नसीहतः बहुत से लोग समझते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में नक़द रक़म मौजूद हो तभी हज वाजिब होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, फ़ुक्हा ने साफ़ लिखा है कि अगर किसी के पास ज़मीनें हैं जिनके कुछ हिस्से बेचकर हज के ख़र्च को पूरा किया जा सकता है इसके बावजूद इतनी ज़मीन बाक़ी रह जाएगी जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो सकेंगी तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी के पास एक मकान रिहाइश का है, और दूसरे मकान या कई मकान और भी हैं जिनको बेचकर के हज के ख़र्चे पूरे किये जा सकते हैं तो उस पर भी हज फ़र्ज़ हो जाएगा। यद्यपि अगर किसी के पास एक बड़ा मकान है जिसके एक हिस्से को बेचकर के हज के ख़र्चे पूरे हो जांएगे, इसके बावजूद रिहाइश के ख़र्चे पूरे करने के लिये मकान बच सकेगा तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। लेकिन उसके लिये भी अफ़ज़ल यही है कि हज पूरा करे। इन मसलों की तरफ़ ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिये कि बहुत से भाई अपने को साहबे निसाब नहीं समझतें हैं जबकि जाएदाद के कारण वो साहबे निसाब होते हैं। और उन पर हज फ़र्ज़ होता है।

5. **शान्तिपूर्ण मार्ग का होना:** अल्लाह का शुक्र है कि अब ये शर्त बराबर पायी जा रही है पहले ज़माने में समुद्री रास्ते में और ज़मीनी रास्तों में लुटेरों और ज़ालिम बादशाहों का लगातार ख़तरा रहा करता था।

6. **औरत के लिये महरम होना:** अगर महरम मौजूद न हो तो औरत पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। महरमों में बाप बेटे भाई भतीजे भांजे और वो सभी रिश्तेदार शामिल हैं जिनसे स्थायी तौर पर निकाह हराम होता है। पति के साथ भी औरत हज कर सकती है। ग़ैर महरम के साथ जिस तरह दूसरे सफ़र नाजाएज़ हैं उसी तरह अल्लाह के घर का हज करना भी नाजाएज़ है चाहे औरत जवान हो या बूढ़ी, उस नामहरम के साथ दूसरी औरतें भी हो या वो अकेली। इसलिये नबी करीम स0अ0 ने इरशाद फ़रमायाः "अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाली औरत के लिये ये जाएज़ नहीं कि महरम के बग़ैर सफ़र पर जाए" आजकल बहुत सी बहनें इसमें कोताही करती हैं उन्हे ये बात ज़हन में रखनी चाहिये कि अस्ल चीज़ अल्लाह की रज़ामन्दी हासिल करना है। अल्लाह के घर का हज करना तो उसका एक साधन मात्र है। महरम न हो तो अल्लाह की रज़ा हज से हासिल नहीं हो सकती, इस हालत में अल्लाह की रज़ा इस बात से होगी कि हज व ज़ियारत के लिये दिल तड़प रहा है, लेकिन अल्लाह की तरफ़ से मनाही है लिहाज़ा अल्लाह की रज़ा को तरजीह दी गयी, न कि दिल की तड़प को। बहरहाल मना होने के बावजूद अगर कोई औरत महरम के बग़ैर हज करे तो हज हो जाएगा लेकिन शरीअत का हुक्म तोड़ने का गुनाह होगा। सही क़ौल के मुताबिक उस पर हज–ए–बदल करना या वसीयत करना वाजिब है।

7. **बदन का सलामत होना**, इसलिये लुन्ज और चलने फ़िरने से मजबूर लोगों पर इमाम अबू हनीफ़ा रह0 के नज़दीक हज फ़र्ज़ नहीं है बल्कि साहिबैन के नज़दीक उन पर हज फ़र्ज़ है। उन्हे चाहिये कि किसी को हज बदला कराएं या हज को वसीयत कर जांए बिल्कुल यही इख़्तिलाफ़ अन्धे के सिलसिले में भी है। आजकल हज में जो सहूलियत है अगर साथ देने और सहयोग करने वाले मौजूद हों तो ये माजूर भी आसानी से हज कर सकते हैं। इसलिये एहतियात इसी में है कि साहिबैन के क़ौल पर अमल करते हुए अगर सहयोग करने वाले हों और हिम्मत हो तो हज कर लें वरना हज बदल करवा दें या हज करने की वसीयत कर जांए, औरत का महरम मौजूद न हो तो सही क़ौल के अनुसार उसे भी हज बदल करा लेना चाहिये या हज की वसीयत कर देना चाहिये।

## हज क्या है

पेज 2 का शेष

क़ुरआन मजीद में फ़र्ज़ियत की शर्त के तौर पर फ़रमाया गया है, "यानि हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो सफ़र करके मक्का तक पहुंचने की इस्तिताअत रखते हों, इसमें जो गुप्त हों, ग़ालिबन सवाल करने वाले सहाबी ने इसकी वज़ाहत चाही और पूछा कि इस इस्तिताअत का निश्चित स्तर क्या है? तो आप स0अ0 ने फ़रमाया कि: एक तो सवारी का इन्तिज़ाम हो जिस पर मक्का का सफ़र किया जा सके, उन लोगों के गुज़ारे को भी शामिल किया है जिनकी परवरिश जाने वाले के ज़िम्मे हो।" (हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलल्लाह स0अ0 ने फ़रमायाः एक उमरा से दूसरे उमरा तक कफ़्फ़ारा हो जाता है। उनके बीच के गुनाहों का और "हज मबरूर" (पाक और मुख़लिसाना हज का बदला बस जन्नत है।)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलल्लाह स0अ0 ने फ़रमायाः बार बार किया करो हज व उमरा क्योंकि हज और उमरा दोनों फ़क्र और मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सोनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी का मैल कुचैल दूर कर देती है। और हज मबरूर का सिला और सवाब तो केवल जन्नत है।

जो शख़्स इख़लास के साथ हज या उमरा करता है वो मानो अल्लाह के दरियाए रहमत में गोता लगाता है। और नहाता है। जिसके परिणाम में वो गुनाहों के गन्दे असर से पाक हो जाता है। और इसके अलावा दुनिया में भी उस पर अल्लाह तआला का ये फ़ज़ल होता है कि फ़क्र और मोहताजी और परेशान हाली से इस को निजात मिल जाती है। और ख़ुशहाली और दिल के इत्मिनान की दौलत नसीब हो जाती है। और अधिक मज़ीद ये कि जन्नत का अता करना अल्लाह तआला का फ़ैसला है।

## क़ुर्बानी – इख़लास के साथ

पेज 3 का शेष

तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी सारी कोशिशें बेकार हैं और उनकी शरीअत की नज़र में कोई क़ीमत नहीं और ख़तरा है कि ख़ुदा न खास्ता हमारा शुमार उन लोगों में हो जिनके बारे में क़ुरआन करीम का फ़रमान है:

(जिनकी कोशिश दुनिया की ज़िन्दगी में बेराह हो गयी और वो ये समझते रहे कि वो बेहतरीन काम अन्जाम दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया तो उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जांएगी और हम क़यामत के रोज़ उनको ज़रा सा भी वज़न न देंगे)

हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि ख़ुदा हमसे इस मौक़े पर क्या चाहता है? हमारा अन्दाज़ा, हमारी अन्तरात्मा, हमारा दृष्टिकोण, हमारी पालिसी और हमारा दिमाग़ और बसीरत या हमारी ख़िदमत व मेहनत जो कुछ भी है अवास्तविक है, वास्तविक नहीं। हम सब्र को इस लिए पसन्द नही करते कि सब्र इन्सान के लिए बेहतर चीज़ है और इससे उसको दिली सुकून ओर दिमाग़ी इत्मिनान हासिल होता है बल्कि इसलिए कि अल्लाह की यही मर्ज़ी है।



www.abulhasanalinadwi.org

# अमरीका- अफ़ग़ानिस्तान युद्ध

## अमरीकी पराजय के कारण व प्रभाव

——››› मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

अफ़ग़ानिस्तान युद्ध के दस साल पूरे हो चुके हैं। इस लम्बे ख़ूनी युद्ध में किस ने क्या खोया क्या पाया ये सबके सामने है। दुनिया के बेहतरीन फ़ौजी संगठन ने पहाड़ों में जीवन बिताने वाली "उन्नतिहीन" क़ौम के सामने घुटने टेक दिये और अफ़ग़ानिस्तान नामी इस दलदल से निकलने की राहें तलाश की जा रही हैं। यद्यपि अमरीका व पश्चिम देशों में मौजूद सहयूनी लाबी इस ड्रामें को लाभदायक परिणाम दिये बग़ैर समाप्त करना नहीं चाहती है। सयुंक्त राष्ट्र इस लम्बे युद्ध के ख़र्चे से पस्त पड़ चुका है लेकिन वो भी यहूदी लाबी को नाराज़ भी नहीं कर सकते। फिर अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दबाव और फिर ज़बरदस्त जानी व माली नुक़सान और युद्ध की पराजय के परिणाम में अमरीका को अफ़ग़ानिस्तान से फ़ौजें हटाने का फ़ैसला करना पड़ा। और इसने घोषणा की कि पहले चक्र में दस हज़ार फ़ौजियों की टोली वापस बुलायी जाएगी और फिर 2012ई0 तक और 32,000 फ़ौजियों को ईराक़ से निकाल लिया जाएगा और इस तरह 2014 ई0 तक ये काम पूरा हो जाएगा।

अमरीकी शासन ने फ़ौजों की वापसी की घोषणा के नाम पर मानो ये स्वीकार कर लिया कि इस लम्बी जंग में उसे पराजय के सिवा कुछ हाथ न आया। और अब तक हालात भी इस बात के गवाह हैं कि ये जंग अमरीका के हक़ में बहुत ही मंहगी साबित हुई। और इससे भी इनकार नहीं कि जल्द ही अफ़ग़ानिस्तान उसके लिये दूसरा वियतनाम साबित होगा। क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान की जनता अब इस परिणाम पर पहुंच चुकी है कि जब तक अमरीकी और नाटो फ़ौज अफ़ग़ानिस्तान पर क़ाबिज़ रहेगी तब तक उनसे विरोध जारी रहेगा। क्योंकि वो अब अपने रहे सहे देश को बचाना चाहते हैं।

अफ़ग़ानिस्तान से अमरीकी वापसी के फ़ैसले और घोषणा के बाद अमरीकी शासन में विरोधाभास की ख़बरें भी सामनें आयीं। जिसमें इस बात की ओर इशारे दे दिये गये कि लोकतान्त्रिक तत्वों की हठ है कि वापसी के काम को तुरन्त और अतिशीघ्र किया जाए जबकि रिपब्लिकन का मानना है कि अमरीकी फ़ौजियों को और कुछ अर्सों के लिये अफ़ग़ानिस्तान में रखा जाए और दूसरी तरफ़ पेन्टागन ने इस फ़ौजी वापसी के फ़ैसले को ख़तरनाक घोषित कर दिया है।

अफ़ग़ानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के एक दो नहीं बहुत से पहलू हैं और हर पहलू अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के बाद अफ़ग़ानिस्तान का भविष्य क्या होगा?क्षेत्रीय स्तर पर इसके क्या प्रभाव होंगे? अमरीका को पूर्ण व तुरन्त वापसी से गुरेज़ क्यों है? अफ़ग़ानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के मुस्तक़िल रहने के लक्ष्य व उद्देश्य क्या हैं? इत्यादि!

अफ़ग़ानिस्तान में बदलते हुए हालात से ये ज़ाहिर है कि अमरीका इतनी जल्दी इस देश को ख़ाली करने वाला नहीं। जबकि उसने उसामा बिन लादेन की मौत का ड्रामा रच कर फ़रारी अपनाने का प्रयास अवश्य किया था लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इसका फ़ाएदा उठाकर सीधे पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहता है। लेकिन अब तक जारी रहने वाली जंग के जो परिणाम सामने आंए हैं उनकी रोशनी में हम कह सकते हैं कि अमरीका इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हो चुका है। और वास्तविकता ये है कि ये अमरीका के ख़ात्मे का आरम्भिक बिन्दु है जिसके प्रभाव भी प्रकट होना आरम्भ हो चुके हैं।

अफ़ग़ानिस्तान के युद्ध में अमरीकी पराजय का आधारभूत कारण ये है कि इसमें अमरीका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। इसका आर्थिक ग्राफ़ बहुत नीचे गिर गया जिसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ा और अन्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जड़े भी हिल गयीं।

अमरीकी शासन की सम्भावनाओं के विपरीत इस युद्ध ने बहुत अधिक तूल पकड़ा और अफ़ग़ानियों ने जिस हिम्मत व साहस से उनका सामना किया उससे उनके इरादों पर पानी फिर गया। इसके अलावा अमरीकी फ़ौजियों के अनगिनत ताबूत अमरीका पहुंचे जिससे अमरीकी जनता की राय इसके विपरीत होती चली गयी जिसका ज़बरदस्त दबाव अमरीकी पालिसी पर प्रकट हुआ।

अत्यधिक हानि के बाद इस युद्ध में अमरीकी पराजय की हानिया एंव प्रभाव बहुत दूरगामी साबित होंगे जिसका तुरन्त परिणाम ये सामने आएगा कि अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय इम्पायर के दावे खोखले साबित होंगे और अपने सुपर पावर की साख को बचाना उसके लिये मुश्किल हो जाएगा और उसने खाड़ी युद्ध में न्यू वर्ल्ड आर्डर (New World Order) का जो ख़्वाब देखा था वो अफ़ग़ानिस्तान की पहाड़ियों में चकनाचूर हो जाएगा।

अमरीकी फ़ौजों की वापसी जिहाद और स्वतन्त्रता विभिन्न आन्दोलनों की क्षमता में वृद्धि का साधन बनेगा। अफ़ग़ानी जनता की विजय और अमरीका की पराजय से दूसरे देशों में जारी स्वतन्त्रता के प्रयासों को ज़बरदस्त ताक़त और हिमायत हासिल होगी। ख़ास कर फ़िलिस्तीन में जारी जद्दोजहद को मुस्लिम देशों की हिमायत और सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही पश्चिम व मध्य में अमरीकी कठपुतली शासनों के विरुद्ध जनता की जागरुकता में तेजी भी आयेगी।

अफ़गानिस्तान से अमरीकी वापसी के परिणाम में अन्तर्राष्ट्रीय अधिपत्य का मामला एक बार फिर सामने आयेगा जैसा कि सोवियत यूनियन की अफ़ग़ानिस्तान में पराजय और फ़ौजों की वापसी के बाद आया था। ऐसी स्थिति में चीन अन्तर्राष्ट्रीय ताक़त के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। क्योंकि वो अपनी फ़ौज और अर्थव्यवस्था के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय किरदार अदा करने का दावा रखता है। जबकि दूसरी ओर मुस्लिम शासन अन्तर्राष्ट्रीय अधिपत्य तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना असरदार किरदार अदा करने की योग्यता से वंचित हैं। लेकिन ये वो समय है जबकि मुस्लिम शासकों को अपने किरदार और अपने शासन के बारे में नये सिरे से विचार करना आवश्यक है। जिस तरह लीबिया, सीरिया, मिस्र इत्यादि में शासन के बदलाव का रूझान पैदा हुआ वो उन शासको के लिये भी ख़तरे की घन्टी है जो शासक की गद्दी से चिमटे रहना चाहते हैं और जनता पर अपनी मर्ज़ी थोपने के आदी हो चुके हैं।

# एहसान

दूसरों के साथ ऐसा सुलूक करना जिससे उसका दिल खुश हो और उसको आराम पहुंचे। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है: (अनुवाद: अल्लाह तआला इन्साफ़ और लोगों के साथ एहसान करने का रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है)

और सबसे बढ़कर ये कि खुद खुदा तआला सबसे बड़ा मोहसिन है हर हर इन्सान पर बेशुमार नेमते उतारीं हैं और हर मख़लूक़ उसके एहसान से दबी हुई है। इसको कुरआन मजीद में यूं कहा गया है: (अगर अल्लाह के एहसान गिनों तो उनको पूरा न गिन सकोगे। बेशक इन्सान बेइन्साफ़ और नाशुक्रा है)

इसलिये अब ये बात और अहम हो जाती है कि जब अल्लाह तआला ने हम पर एहसान किया तो हम उसकी और दूसरी मख़लूक़ात के साथ भी एहसान करें और इसमें कोताही न करें अगर किसी परेशान हाल को देखें तो उसकी मदद करें, उसका हाथ बटांए, उसका ग़म दूर करें और अगर माली परेशानी हो तो उसकी मदद करने में कंजूसी न करें।

हज़रत बरा बिन आज़िब सहाबी कहते हैं कि एक बार एक देहाती आप स०अ० की ख़िदमत मुबारक में हाज़िर हुआ और दरख़्वास्त की कि या रसूलल्लाह स०अ० मुझे कोई ऐसी बात बताइये जिसके करने से जन्नत नसीब हो। इरशाद हुआ कि तुम्हारी बात तो छोटी है लेकिन तुम्हारा सवाल बहुत बड़ा है। तुम जानों को आज़ाद करो और गरदनों को छुड़ाओ उसने कहा या रसूलल्लाह स०अ० क्या ये दोनों बातें एक ही नहीं, फ़रमाया नहीं अकेले अगर किसी को आज़ाद करते हो तो ये जान का आज़ाद करना है और किसी दूसरे के साथ मिलकर किसी की आज़ादी की क़ीमत में पैसे की मदद करना गरदन छुड़ाना है। और लगातार देते रहो और ज़ालिम रिश्तेदारों के साथ नेकी करो और अगर ये भी न कर सको तो अपने आप को भलाई के सिवा दूसरी बातों से रोको।

**मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी**